Sixteenth Loksabha

an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs and Minister of State in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation made a statement regarding Government Business during remaining part of the session and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, I rise to announce that Government Business during the remaining part of the Session will consist of:-

1. Consideration and passing of the Appropriation Bills relating to following Demands after their consideration and adoption

a) Supplementary Demands for Grants for 2018-19

b) Demands for Excess Grants for 2015-16

2. Consideration and passing of the following Bills after they are introduced in Lok Sabha:

(a) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018

(b) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2018

(c) The Union Territory Goods and Service Tax (Amendment) Bill, 2018

(d) The Goods and Services Tax (Compensation to States) Amendment) Bill, 2018

3. *Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:* - [it contains consideration and passing of (i) further discussion on Statutory Resolution seeking disapproval of the National Sports University Ordinance, 2018 (No. 5 of 2018) and consideration and passing of the National Sports University Bill, 2018; (ii) the Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2018; and (iii) The National Medical Commission Bill, 2017]

4. The Major Port Authorities Bill, 2016. Consideration and passing of the following Bills:

(a) The Dentists (Amendment) Bill, 2017;

(b) The Representation of People (Amendment) Bill, 2017;

(c) The Consumer Protection Bill, 2018;

(d) The New Delhi International Arbitration Centre Bill, 2018;

(e) The Transgender Persons (Protection of Rights) Bill, 2016;

(f) The Surrogacy (Regulation) Bill, 2016;

(g) The Micro Small and Medium Enterprises Development (Amendment) Bill, 2018;

(h) The Arbitration and Conciliation (Amendment) Bill, 2018;

(i) The Airports Economic Regulatory Authority of India Bill, 2018;

(j) The Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Amendment Bill, 2017;and

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्लिखित विषय चर्चा हेतु लिए जाएं :-

1. भारत सरकार के अधीन विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में सैक्शन अधिकरी के 3193 पदों के आलोक में करीब 1270 पद रिक्त हैं। नियम के अनुसार कुल पद का 50 प्रतिशत प्रमोशन एवं 50 प्रतिशत नई नियुक्ति से भरना है, लेकिन वर्ष 2015 से कोई भी नई नियुक्ति नहीं हुई है एवं पिछले 3 साल से किसी को भी प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी कार्य प्रभावित होने के साथ-साथ प्रमोशन के हकदार कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी है। अत: अविलंब प्रमोशन एवं नई नियुक्ति हेतु सख्त विधि नियम बनाए जाएं ।

2. एस.सी. एवं एस.टी. को प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए सन् 1955 में विशेष प्रावधान किए गए, जिसे सन् 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले (मंडल कमीशन) में निरस्त कर दिया । सन् 1997 में केंद्र सरकार के डीओपीटी विभाग ने 5 ऑफिस मेमोरेंडम जारी किए, जिसके बाद सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण को संविधान में संशोधन के माध्यम से विशेष संरक्षण प्रदान किया । सन् 2006 में नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने प्रमोशन में आरक्षण की नई संवैधानिक

व्यवस्था को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए अनेक नियम बना दिए, जिनका सरकार द्वारा पालन नहीं किए जाने से पूरा विवाद है। एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के आरक्षण के लिए अनुछेद-16 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, परंतु दूसरी ओर अनुछेद-335 में प्रशासन की कार्यकुशलता के बारे में संवैधानिक प्रावधान है और इन दोनों में विरोधाभास की वजह से अनेक कानूनी विवाद हो रहे हैं।

अत: अविलंब दोनों विरोधाभास एवं कानूनी विवाद के साथ-साथ जटिल नियमों को सुलझाते हुए, एस.सी. एवं एस.टी. वर्ग के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण प्रदान किया जाए ।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय चर्चा के लिए लिए जाएं:-

1. जोधपुर से इंदौर चलने वाली ट्रेन नंबर 14801/14802 एवं उदयपुर-हरिद्वार चलने वाली ट्रेन नंबर 19609/19610 को भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र के रायला एवं गुलाबपुरा स्टेशन पर ठहराव दिया जाए ।

2. भीलवाड़ा लोक सभा क्षेत्र में कार्यरत लोहे एवं जस्ते की खदानों में स्थानीय निवासियों को रोज़गार दिया जाए ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए:-

बिहार में किसानों को ट्यूबेल लगाने के लिए सरकार से आर्थिक सहायता की अति आवश्यकता है। बिहार, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र नालंदा एवं आसपास के जिलों में भू-जलस्तर काफी नीचे चला गया है। इसके कारण ऊपर का पानी सूख गया है और पानी का लेवल 500 फिट से भी नीचे चला गया है। किसान अपनी फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। डीप बोरिंग लगाकर ही पानी निकाला जा सकता है। इसमें लागत अधिक लगती है, जो किसानों के लिए संभव नहीं है। अत: सरकार द्वारा किसानों को 80 प्रतिशत सब्सिडी देकर, डीप बोरिंग तथा समरसेबुल देकर किसानों की सिंचाई की व्यवस्था की जाए ।

बिहार अति पिछड़ा राज्य है। वहाँ के किसानों की आय का एकमात्र साधन खेती ही है। आज किसानों की हालत काफी खराब है। किसान बीज व खाद के लिए कर्ज लेता है, मगर फसल तैयार होने से पहले ही किसी न किसी आपदा का शिकार होकर फसल नष्ट

हो जाती है। अत: मैं सरकार से माँग करता हूँ कि राज्य के किसानों का कर्ज माफ किया जाए । धन्यवाद ।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए:-

मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत पड़ने वाले दोनों जिले पलामू एवं गढ़वा देश के 115 आकांक्षी जिलों में आते हैं। इस क्षेत्र में उद्योग-धंधों के नाम पर एक मात्र जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, जो वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री को शीघ्रातिशीघ्र खुलवाने की कृपा की जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू में पीने के पानी में फ्लोराइड एवं आर्सेनिक की मात्रा अत्यधिक है, जिसके चलते लोगों को नाना प्रकार की बीमारियाँ हो रही हैं। अत: पलामू एवं गढ़वा जिले के अंतर्गत प्रखंड मुख्यालयों में ऐसे संयत्र लगाए जाएं, जिसके माध्यम से पीने योग्य पानी मिल सके । धन्यवाद ।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:-

अहमदाबाद-रामदेवरा (राजस्थान) ट्रेन की माँग पिछले पाँच सालों से लंबित है। रामदेवरा एक बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ एस.सी., ओबीसी समाज के श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। गुजरात से रामदेवरा के लिए रेल सुविधा की कमी है। इस लंबित माँग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में CRP,BSF,ONGC, मारूति सुजुकी तथा अन्य प्राइवेट कंपनियों का बड़ा कारोबार है। इन संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी तथा हिमाचल प्रदेश के कई परिवार रोजगार के लिए मेहसाणा में रहते हैं। उनको धार्मिक स्थलों के दर्शन हेतु तथा अहमदाबाद-ऊना आने जाने में सहुलियत हो, इसके लिए गुजरात से हिमाचल प्रदेश की सीधी ट्रेन सेवा शुरू की जाए । धन्यवाद ।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेन्डों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कपा करें ।

1. मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत सीतामढ़ी जिले का बेलसंड अनुमंडल स्वास्थ्य सुविधाओं के दृष्टिकोण से एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ स्थित सरकारी सामुदायिक अस्पताल में मानक के अनुरूप 30 बेड एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नही हैं। बेलसंड सरकारी सामुदायिक अस्पताल में मानक के अनुरूप बेड एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य ।

2. मेरे शिवहर संसदीय क्षेत्रांतर्गत शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण के बीच बागमती तथा लालबकेया नदी को जोड़ने वाले अदौरी-खोड़ी पाकड़ पुल का निर्माण हो जाने से शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण जिले के बड़े भू-भाग का विकास सम्भव हो सकेगा । जनहित में शिवहर एवं पूर्वी चम्पारण जिले को जोड़ने वाले अदौरी-खोड़ी पाकड़ पुल के निर्माण का कार्य । धन्यवाद ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I wish to include the following two items in the List of Business of the House for the week commencing from 6th August, 2018.

The Ministry of Environment, Forests and Climate Change has kept the 'Stop Work Order' in abeyance on yearly basis since 03.07.2015. The recent decision to keep it in abeyance to 02.07.2019 will allow the construction of Polavaram Project to complete by 2019 which will result in impounding of the Polavaram Reservoir, thereby causing submergence in the Malkangiri District of the State of Odisha. Despite the fact that the matter is sub-judice in Hon'ble Supreme Court and the serious objections raised by the Government of Odisha, the construction of Polavaram Project is being allowed by the Union Government despite any change in legal and factual position of the Project.

With a high percentage of population belonging to Scheduled Tribes and Scheduled Castes and the State facing frequent natural calamities, the Government of Odisha has requested the Union Government time and again to

accord a special category status to fast-track its ongoing development and may treat it at par with the North-Eastern and Himalayan States for the sharing pattern of Centrally Sponsored Schemes. However, the Union Government has not acceded to the request of the Government of Odisha so far. This issue needs urgent consideration of the Union Government to ensure flow of adequate funds to the Government of Odisha to give momentum to their relentless efforts to reduce poverty and improve human development in the State.

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित विषय अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किए जाने की विनती करता हूं: -

(1) हिंगोली लोकसभा क्षेत्र में दराटी, जेवली, मोरचंदी, चिखली ता. उमरखेड, जि. यवतमाल, एम.आई.डी.सी., हिंगोली, वाडचूना, सावली खु. भोसी ता. औंढा, हनगदरी, हिवारखेडा, अडोळ ता. सेनगाव, सवना ता. महागाव, केदारगुडा ता. हदगांव, इन जगहों पर बी.एस.एन.एल. टावर लगाने के संदर्भ में चर्चा की मांग ।

(2) राफेल समझौते में कथित भ्रष्टाचार और रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में गलत तथ्य रखने के संदर्भ में चर्चा की मांग ।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैडम, यह तो सबमिशन का विषय ही नहीं है।...(व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Hon. Speaker Madam, the following issues may be included in the list of business of coming weeks: -

(i) Given the changing political situation surrounding our country, there is an imperative need to review our engagement with neighbouring countries;

(ii) National treasure of our country Taj Mahal which is recognised as the synopsis of exquisite arts and heritage has been the victim of neglect and apathy.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्षा जी, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का अनुरोध करता हूं: -

1. मेरे लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी के सीमावर्ती बाजार भानपुरी-खजुरिया बसही में नेपाल से हो रहे वैध व्यापार की सुगमता के लिए सीमा पर कस्टम

कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जाए ।

2. मेरे लोकसभा क्षेत्र लखीमपुर-खीरी में पूर्व स्वीकृत मोबाइल टावर सूंडा, सौनहा, गौरीफंटा, बरमपुर व बनवीरपुर आदि के टावर शीघ्र लगाकर इंटरनेट, फोन व ब्राडबैंड आदि सुविधाएं उपलब्ध कराकर भारत सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम डिजिटल इंडिया से जोड़ने पर विचार किया जाए ।